झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
सप्तम् (शीतकालीन)-सत्र
वर्ग-01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक 30 कार्तिक, 1938 (श0) / 21 नवम्बर, 2016 (ई0) को

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
17 (उ० संलग्न)	ग-01	श्री साधु चरण महतो	नया थाना स्थापित करना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	12.11.16
18 (उ० संलग्न)	ग-04	श्री अमित कुमार	मुआवजा राशि का भुगतान करना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	12.11.16
19	म-01	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी	12.11.16
20 (उ० संलग्न)	का-01	श्री प्रदीप यादव	उच्चस्तरीय जांच कर कार्रवाई करना	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	12.11.16
21 (उ० संलग्न)	ग-05	श्री अशोक कुमार	थाना भवन का निर्माण करना	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	12.11.16

1	2	3	4	5	6
उ॰संलग्न 22	ग-03	श्रीमती विमला प्रधान	जेलो में गैर सरकारी सदस्य मनोनीत करना	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	12.11.16
उ॰संलग्न 23	ग-02	श्री अरूप चटर्जी	आपदा प्रबंधन खनन् संस्थान खोलना	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	12.11.16

राँची
दिनांक-21नवम्बर,2016 (ई0)।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0-03/2015-3311/वि0स0,राँची, दिनांक- 16 नवम्बर,2016 ई0।

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ माननीय नेता विरोधी दल, झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

16/11/16

(मनोज कुमार)
अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या--झा0वि0स0-03/2015-3311/वि0स0,राँची, दिनांक-16 नवम्बर,2016 ई0।

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

16/11/16

अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0-03/2015-3311/वि0स0,राँची,दिनांक- 16 नवम्बर,2016 ई0।

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

16/11/16

अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

मराण्डी/-

15/11/16

श्री साधुचरण महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक– 21.11.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिला के ईचागढ़, चौका एवं नीमडीह थाना का क्षेत्र व्यापक बड़ा होने के साथ–साथ भौगोलिक स्थिति में विभिन्नता के कारण विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवागमन में काफी असुविधा होती है ;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में ईचागढ़ थाना के मिलन चौक, चौंका थाना के बानसा एवं नीमडीह थाना के झिगड़ी में नया थाना स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति सरायकेला–खरसाँवा जिला के ईचागढ़ थाना के मिलन चौक एवं चौका थाना के बानसा में नये ओ०पी०/टी०ओ०पी० के सृजन से संबंधित प्रस्ताव विभिन्न स्तर पर विचाराधीन है, परन्तु पुलिस अधीक्षक द्वारा नीमडीह थाना के झिगड़ी में नया ओ०पी० सृजन को कोई प्रस्ताव नहीं है। सम्प्रति सरकार के स्तर पर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–23/2016 6300/ राँची, दिनांक– 19/11/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3129, दिनांक–12.11.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री अमित कुमार, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग०–04 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि विगत तीन वर्षो (वर्ष 2012–16) में राँची जिलान्तर्गत सिल्ली, सोनाहातु, राहे एवं अनगड़ा प्रखण्ड में ओलावृष्टि एवं आंधी तुफान से हजारों संपत्ति को नुकसान हुआ है, परन्तु इनका क्षतिपूर्ति आम जनता को अभी तक नहीं किया गया है	आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 अंतर्गत प्रश्नगत अंचलों में ओलावृष्टि एवं आंधी तूफान से हुए नुकसान के निमित्त भुगतान की गयी क्षतिपूर्त्ति राशि निम्नवत है :– सिल्ली: 1,04,07,788/– (एक करोड़ चार लाख सात हजार सात सौ अठासी) रूपये । सोनाहातू: 80,76,789/– (अस्सी लाख छिहत्तर हजार सात सौ नवासी) रूपये । अनगड़ा: 62,01,900/– (बासठ लाख एक हजार नौ सौ) रूपये । **कुल– 2,46,86,477/– (दो करोड़ छियालीस लाख छियासी हजार चार सौ सत्तहत्तर) रूपये ।**
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित प्रखण्डों में प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा राशि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, राँची को विभागीय पत्रांक–1151 दिनांक–19.11.2016 द्वारा निदेशित किया गया है कि यदि किसी प्रभावित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान लंबित हो तो 15 दिनों के अन्दर अनुमान्य राशि का भुगतान कर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करायें ।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांकः–07/गृ०का०आ०(विधायी)–58/2016–1156/आ०प्र०, राँची, दिनांक–19/11/16.

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–3130, दिनांक–12.11.2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/2016

सरकार के अवर सचिव

माननीय *श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछा जाने वाला*
***तारांकित प्रश्न* संख्या – का–01 का उत्तर प्रतिवेदन**

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य गठन के पूर्व एकीकृत बिहार से कैडर आवंटन के समय से ही करीब 50 सचिवालय सेवा के तत्कालीन सहायक एक ही विभाग में प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव एवं उप सचिव के पद पर प्रोन्नति प्राप्त कर नियम विरूद्ध पदस्थापित है	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वर्तमान में झारखंड राज्य गठन के पूर्व एकीकृत बिहार से कैडर आवंटन के समय से ही एक ही विभाग में प्रोन्नति उपरांत पदस्थापित पदधारकों की कुल संख्या 18 है। उक्त में से प्रशाखा पदाधिकारी कोटि के 3 एवं अवर सचिव कोटि के 1 पदाधिकारी को स्थानांतरित किया गया है, परंतु कार्यहित में प्रशासी विभाग की अनुशंसा के आलोक में इनमें से 2 प्रशाखा पदाधिकारी एवं 1 अवर सचिव का स्थानांतरण अल्पावधि के लिए स्थगित रखा गया है तथा 1 प्रशाखा पदाधिकारी को प्रशासी विभाग द्वारा अबतक विरमित नहीं किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि 15 वर्षो से लगातार एक ही विभाग में पदस्थापित रखना सरकारी नियमावली के विरूद्ध है	झारखंड सचिवालय सेवा के पदधारकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन की नीति एवं प्रक्रिया कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 606 दिनांक 15.09.1997 द्वारा निर्धारित है। उक्त संकल्प की कंडिका 2 के प्रावधानानुसार सहायक के पद पर किसी विशेष विभाग/कार्यालय में पदस्थापन की अवधि सामान्यतः 10 वर्ष एवं प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव एवं संयुक्त सचिव के पद पर किसी विशेष विभाग/कार्यालय में पदस्थापन की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष निर्धारित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एक ही विभाग में लम्बे समय से पदस्थापित उक्त पदाधिकारियों के विरूद्ध उच्च स्तरीय जांच कराकर दण्डात्मक कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों के उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। लंबी अवधि से एक ही विभाग में पदस्थापित पदाधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापन की कार्रवाई आवश्यकतानुसार पूर्व में की गई है। पदाधिकारियों का स्थानांतरण/पदस्थापन सरकार/प्रशासन के विवेकाधिकार के अंतर्गत होता है, इसमें पदाधिकारी का कोई दोष नहीं होता है। विभागों की आवश्यकतानुसार एवं कार्यहित में कतिपय पदाधिकारियों को प्रोन्नति उपरांत विभाग में ही पदस्थापित रखा गया है। अतः लंबी अवधि से पदस्थापन के लिए पदाधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई नहीं किया जा सकता है।

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक :– 7/संसदीय कार्य–04/2016 का. 9711 / राँची, दिनांक 18.11.16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 3132 दिनांक 12.11.2016 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.11.16

(सतीश कुमार जायसवाल)
सरकार के उप सचिव।

श्री अशोक कुमार, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत हनवारा थाना का भवन नहीं रहने के कारण विधायक निधि से निर्मित सामुदायिक भवन में थाना का संचालन हो रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि हनवारा थाना का अपना भवन नहीं होने से कार्य संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है य ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गोड्डा जिलान्तर्गत हनवारा में थाना भवन के निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आगामी वित्तीय वर्षों में योजना राशि एवं भूमि की उपलब्धता के आधार पर हनवारा थाना भवन निर्माण योजना की स्वीकृति प्रदान की जायगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स०–1010/2016 5292/ राँची, दिनांक– 19/11/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3131, दिनांक–12.11.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्रीमती बिमला प्रधान, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जेल मेन्युवल के अनुसार सभी जेलों में धार्मिक अनुदेशक, जेल विजिटर (गैर सरकारी), कारा क्रय समिति में गैर सरकारी सदस्यों को मनोनित करना है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि गैर सरकारी जेल विजिटर मनोनित नहीं किये जाने से जेलों के कार्य प्रभावित हो रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सभी काराओं के लिए Official Visitors नामित हैं। सभी जिला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं उपायुक्त द्वारा लगातार काराओं का निरीक्षण किया जा रहा है। कारा निरीक्षणालय द्वारा भी समय–समय पर काराओं का निरीक्षण किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जेल मेन्युवल के अनुसार सभी जेलों में धार्मिक अनुदेशक एवं जेल विजिटर (गैर सरकारी), क्रय समिति में गैर सरकारी सदस्य मनोनित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सभी जेलों में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन संबंधित उपायुक्तों से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सरकार द्वारा किया जाना प्रावधानित है जो प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11 / वि०स०–23 / 2016 6302 / राँची, दिनांक–19 / 11 / 2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3127, दिनांक–12.11.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.11.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग०–02 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला खन्न क्षेत्र में प्रमुख स्थान राज्य में रखता है एवं जिलें में खनन एवं अन्य आपदा घटनाएं घटती रहती है ;	1. स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिले के निरसा प्रखण्डन्तर्गत मौजा गोपालगंज में झारखण्ड आपदा प्रबंधन खनन संस्थान खोलने हेतु 63 एकड़ जमीन का प्रस्ताव जिले से विभाग को 2015–16 में भेजा गया है ;	2. स्वीकारात्मक ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार धनबाद जिले में झारखण्ड आपदा प्रबंधन खनन संस्थान, खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3. धनबाद जिले में झारखण्ड आपदा प्रबंधन खनन संस्थान खोलने के लिए आवश्यक कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही है।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांकः–07/गृ०का०आ०(विधायी)–57/2016–1147/आ०प्र०, राँची, दिनांक–19/11/16.

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–3128, दिनांक–12.11.2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/2016

सरकार के अवर सचिव